रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 604] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 4, 2001/अग्रहायण 13, 1923
No. 604] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 4, 2001/AGRAHAYANA 13, 1923

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2001

सा.का.नि. 876(अ).— केंद्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग खंड और स्थायी पुल - सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाओं के प्रयोग के लिए शुल्क) नियमावली, 1997 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :

1 **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों को राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग खंड और स्थायी पुल - सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाओं के प्रयोग के लिए शुल्क) संशोधन नियमावली, 2001 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. **राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग खंड और स्थायी पुल - सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाओं के प्रयोग के लिए शुल्क) नियमावली, 1997 में, नियम 2 में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-**

'(ग) "स्थायी पुल" का आशय स्थायी ढाँचे वाले किसी पुल से है और इसकी लागत में पथकर बूथों की लागत छोड़कर उस पुल, पहुंच मार्ग, गाइड बंद और संरक्षी कार्यों की लागत शामिल है जो 25 लाख रुपए से अधिक और 100 लाख रुपए तक है और जो पहली अप्रैल, 1976 को या उसके बाद परंतु पहली मई, 1992 से पहले पूरे कर लिए गए हैं और यातायात के लिए खोल दिए गए हैं

और उसके बाद सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पूर्व 100 लाख रुपए से अधिक लागत वाले सभी पुल और उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों पर 500 लाख रुपए से अधिक लागत वाले सभी पुल जो शुल्क वसूली के लिए अलग से अधिसूचित किए जाएंगे ।

[फा. सं. एनएच-11065/12/2000-पी एंड एम]

एस. सी. शर्मा, महानिदेशक (सड़क विकास) एवं अपर सचिव

टिप्पणी :— मुख्य नियम सा.का.नि.490 (अ) दिनांक 27 अगस्त, 1997 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 2001

G.S.R. 876(E).— In exercise of the powers conferred by section 9 of National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the National Highways (Fees for the use of National Highway Section and permanent Bridge – Public Funded Projects) Rules, 1997, namely:-

1. **Short Title and Commencement:** (1) These rules may be called the National Highways (Fees for the use of National Highway Section and permanent Bridge-Public Funded Projects) Amendment Rules, 2001.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. ***In the National Highways (Fees for the use of National Highway Section and permanent Bridge-Public Funded Projects) Rules, 1997, in rule 2, for clause (j), the following clause shall be substituted, namely:-***

   '(j) "permanent bridge" means a bridge with permanent structure the cost of which includes the cost of bridge proper, approach roads, guide bunds and protective works, excluding the cost of toll booths, which is more than rupees 25 lakhs and upto rupees 100 lakh for each, completed and opened to traffic on or after first day of April 1976 but before the first day of May, 1992 and thereafter all the bridges costing more than Rs.100 lakhs before the date of the publication of this notification in the Official Gazette and thereafter all the bridges costing more than Rs.500 lakhs on National Highways, which shall be notified separately for levy of fee collection'.

[F. No. NH-11065/12/2000-P&M]

S.C. SHARMA, Director General (Road Development) and Addl. Secy.

Note: The Principal rules were published in the Gazettee of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), Vide G.S.R. 490 (E) dated the 27th August, 1997.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2001

सा.का.नि. 877(अ).—केंद्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग (शुल्क दर) नियमावली, 1997 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों को राष्ट्रीय राजमार्ग (शुल्क दर) संशोधन नियमावली, 2001 कहा जाएगा ।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. **राष्ट्रीय राजमार्ग (शुल्क दर) नियमावली, 1997 में (इसे इसमें आगे उक्त नियमावली कहा जाएगा), नियम 2 में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-**

   '(ग) "पुल" का आशय यथास्थिति किसी स्थायी या अस्थायी पुल से है और इसकी लागत में पथकर बूथों की लागत छोड़कर उस पुल, पहुंच मार्ग, गाइड बंद और संरक्षी कार्यों की लागत शामिल है जो 25 लाख रुपए से अधिक और 100 लाख रुपए तक है और जो पहली अप्रैल, 1976 को या उसके बाद परंतु पहली मई, 1992 से पहले पूरे कर लिए गए हैं और यातायात के लिए खोल दिए गए हैं और उसके बाद सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पूर्व 100 लाख रुपए से अधिक लागत वाले सभी पुल और उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों पर 500 लाख रुपए से अधिक लागत वाले सभी पुल जो शुल्क वसूली के लिए अलग से अधिसूचित किए जाएंगे ।

3. **उक्त नियमावली के नियम 3 में -**

   (क) उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

   "(1) फेरियों, स्थायी पुलों, अस्थायी पुलों या किसी राष्ट्रीय राजमार्ग खंड पर सुरंग या पुलों या दोनों के प्रयोग संबंधी सेवाओं या लाभ के लिए शुल्क दर नीचे दी गई तालिका के अनुसार होगी :

तालिका

पुल और इसके पहुंच मार्गों की प्रारंभिक लागत (करोड़ रु.)	पथ कर की दर (प्रति वाहन रुपए)		
	कार/जीप इत्यादि	हल्के वाणिज्यिक वाहन/मिनीबस	ट्रक/बस और बहुधुरीय वाहन
50 से कम	5	10	15
50-75	10	10	25
75-100	10	15	30
100-125	15	20	40
125-150	15	20	40
150-200	15	25	50
200 से ऊपर	20	30	60"

(ख) उप नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3) केंद्र सरकार द्वारा उप नियम (1) और उप नियम (2) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क की दर की प्रत्येक पांच वर्ष बाद थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर समीक्षा की जाए और यह अधिसूचित दर से अधिक पांच रुपए के गुणकों में निर्धारित की जाए" ।

[फा. सं. एनएच-11065/12/2000-पी एंड एम]

एस. सी. शर्मा, महानिदेशक (सड़क विकास) एवं अपर सचिव

टिप्पणी :— मुख्य नियम सा.का.नि.490 (अ) दिनांक [illegible] 1997 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 2001

G.S.R. 877(E).— In exercise of the powers conferred by section 9 read with sub-section (1) of section 7 of National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the National Highways (Rate of Fee) Rules, 1997, namely:

1. **Short Title and Commencement:** (1) These rules may be called the National Highways (Rate of Fee) Amendment Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **In the National Highways (Rate of Fee) Rules, 1997 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, for clause (c), the following clause shall be substituted namely:-**

'(c) "bridge" means a permanent bridge or a temporary bridge, as the case may be, the cost of which includes the cost of bridge proper, approach roads, guide bunds and protective works, excluding the cost of toll booths, which is more than rupees 25 lakhs and upto rupees 100 lakh for each, completed and opened to traffic on or after first day of April 1976 but before the first day of May, 1992 and thereafter all the bridges costing more than Rs.100 lakhs before the date of the publication of this notification in the Official Gazette and thereafter all the bridges costing more than Rs.500 lakhs on National Highways, which shall be notified separately for levy of fee collection';

3. **In rule 3 of the said rules, -**

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The rate of fee for services or benefits rendered in relation to the use of ferries, permanent bridges, temporary bridges or tunnels on any Section of national highway or bridges or both shall be as per Table given below:

TABLE

Initial cost of the bridge and its approaches (Rs. in crores)	**Toll Rates (Rs. Per Vehicle)**		
	Cars/Jeep, etc.	**Light Commercial Vehicles/Minibuses**	**Trucks/Buses and Multi Axle Vehicles.**
Below 50	5	10	15
50-75	10	10	25
75-100	10	15	30
100-125	15	20	40
125-150	15	20	40
150-200	15	25	50
Above 200	20	30	60 "

(b) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) The rate of fee fixed under sub-rule (1) and sub-rule (2) may be reviewed after every five years based on wholesale price index and fixed in multiple of rupees five by the Central Government over the rates notified".

[F. No. NH-11065/12/2000-P&M]

S C. SHARMA, Director General (Road Development) and Addl. Secy.

Note: The Principal Rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), Vide G.S.R.: 490 (E), dated the 30th Sept., 1997

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054